फर्द अहकाम

न्यायालय: [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष 166 A/17 / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/6/24	[illegible] पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 25/6/24 को पेश हो।	
	25/6/24	पत्रावली पेश है। वकील [illegible] [illegible] नहीं [illegible] पत्रावली [illegible] 25/6/24 को पेश हो। [illegible] जयपुर [illegible]	
	25/6/24	पत्रावली [illegible] अ[illegible] है। [illegible] पत्रावली [illegible] 1/7/24 को पेश हो।	
	1/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की आ०पत्र 07 R11 CPC पर दिनांक 26/6/24 को बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिकारी ने आ०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिकारी का आ०पत्र 07 R11 CPC को स्वीकार करने व वादी का वाद खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब आ०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिकारी का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC को खारिज किया जाने, पत्रावली राजस्व रिकार्ड, प्रतिकारी प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC, जवाब आ०पत्र 07 R11 CPC व प्रस्तुत दस्तावेजात — लगातार	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

रामकल्याण व अन्य बनाम सोपाल व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष 166 A/2017 जारी / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1/7/24	का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी ने धारा अन्तर्गत धारा 182 RTA 1955 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा सा० कार्यवाही अभियोग का प्रस्तुत किया है कि जिससे प्रार्थी/प्रतिकारीगण ने आ०पत्र 07 R11 CPC के अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि को जरिये इकरारनामा अप्रार्थी वादीगण द्वारा प्रतिकारी संख्या 4 को बिक्री कर तथा प्रतिकारी संख्या चार के द्वारा उक्त आराजी को भूखण्डों में विभक्त कर आवासीय कॉलोनी रेनबो विकसित की जा चुकी है तथा मौके पर समिति के सदस्यों के द्वारा आवासीय मकान इत्यादि बनाकर निवास करते आ रहे हैं तथा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आराजीयात समस्त रिकार्ड समिति के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पेश किया जा चुका है तथा उक्त भूमि का धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम के तहत कृषि से आवासीय रूप से परिवर्तन किया जा चुका है। उक्त अनपत्री वाद पत्र के अन्तर्निहित भूमि पर भूखण्डधारियों के कब्जे व उपयोग उपभोग है। वादीगण ने उक्त अनपत्री प्रकरण में भूखण्डधारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जब वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वादीगण कब्जाकारत नहीं है तथा मौके पर भूखण्डधारी काबिज होकर निवास कर रहे हैं तो प्रार्थीगण/प्रतिकारीगण के द्वारा जबरन बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इस कारण वादीगण को मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण ने बिना वादकारण के ही झूठा वाद कारण अंकित करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत — लगातार	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी जयपुर- द्वितीय, जयपुर

रामकल्याण — बनाम — गोपाल व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष 166 A/2017 दावा _____ /20____

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1/7/24	किया है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज योग्य है। अपार्थीगण/वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत 90 बी की कार्यवाही माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपास्त की जा चुकी तत्पश्चात् वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 406, 412 तथा 407 अपार्थी/वादीगण सातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद में आदेश 07 रूल 11 CPC पूर्ववर्ती मुद्दे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात अपार्थी/वादीगण के पिता चन्दा पुत्र धासी जाति जाट निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर द्वारा जरिये इकरारनामा विक्रेता समिति जरिये गोपाल लाल के एक मे विक्रय कर दिया था प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा उक्त भूमि को भूखण्डों मे विभक्त कर आवासीय रेनबो कॉलोनी विकसित की जा चुकी है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी प्रमाणित छाया प्रति व प्राकृत रेनबो कॉलोनी विकास समिति बुधसिंहपुरा, सांगानेर जयपुर के फोटोग्राफ, व जयपुर विकास प्राधिकरण योजना जयपुर के निर्णय दि० 10/1/03 अनुसार वादग्रस्त आराजी ख०नं० 406, 407, 412 को जरिये इकरारनामा रामराजपुरा ग्रुप निर्माण सहकारी समिति को बेच दिया जिस पर सहकारी निर्माण सहकारी समिति ने आवासीय भूखण्ड काट कर अपने सदस्यों को आवंटित कर दिये है विकास समिति ने उक्त योजना का रिकार्ड कार्यालय पेश किया है तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट मे बताया है कि उक्त आराजी मे मौके पर रामराजपुरा ग्रुप निर्माण सहकारी समिति की रेनबो कॉलोनी योजना स्थित है उक्त योजना मे ख०नं० 406, 407 एवं 412 ग्राम बुद्धसिंहपुरा की भूमि शामिल है जिसमे चार दीवारी, वाउण्ड्रीवाल, मकानात आदि बने हुये है मौके पर भूमि का अकृषि उपयोग हो चुका है। उक्त योजना के तहत समिति द्वारा 54 भूखण्ड काटकर रेनबो कॉलोनी विकसित हो चुकी है। अतः लगातार

उप-खण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर- द्वितीय जयपुर

रामकल्याण — बनाम — गोपाल व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष 166 A/2017 दावा _____ /20____

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/7/24	आवासीय मकानात पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन भी जारी किये हुये है। प्रतिवादी द्वारा विद्युत बिल की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजीयात को 90 बी के आदेश दिनांक 10/01/2003 को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा 90 बी की कार्यवाही को निर्णय दि० 26/3/12 को अपास्त किया जा चुका है अतः संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 26/3/12 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रिट, जयपुर द्वारा S.B. Civil Writ Petition No 4149/2015 मे दिनांक 16/4/2015 द्वारा स्थगन जारी कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। उक्त रिट पीटीशन माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर रामराजपुरा ग्रुप निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड काटकर आवासीय रेनबो कॉलोनी विकसित की जाकर चार दीवारी, वाउण्ड्रीवाल, मकानात आदि बने हुये है मौके पर भूमि का अकृषि उपयोग हो चुका है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा मौके ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर आराजी खसरा नम्बर 406, 407 व 412 किता-3 कुल रकबा 0.90 है० को खारिज किया जाता है। पत्रावली पृथक से जारी की खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय आज दि० 1/7/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर पत्रावली नियम से कार्य हेतु बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested